न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—67 / 2022(जीसीएमएस नम्बर 2022 / 257)

1. श्री सरसा देवी चेरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम गुप्ता एवं मंत्री श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र भानगढ़ जिला अलवर राजस्थान जरिये अध्यक्ष पुरूषोत्तम पुत्र श्री राधेश्याम।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिलाधीश द्वितीय अलवर जिला अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद कुमार माथुर एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ट्रस्ट को खाता संख्या 1 नया एवं पुराना खाता संख्या 1 ग्राम भानगढ़ उप तहसील टहला के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2075 के अनुसार खसरा नम्बर 194 रकबा 4.85 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन नदी के रकबे में से 0.50 हैक्टयर पर अनाधिकृत अतिक्रमी होने का लांछन लगाकर प्रत्यर्थी उप तहसीलदार टहला ने आरोपित किया है जिसके उपरान्त न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने भी अपील के आदेश द्वारा बिना किसी प्रथम दृष्टया जॉच के अतिक्रमी घोषित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि वास्तविक एवं सद्भावी तथ्यों की जांच के बिना केवल मात्र पटवारी हल्का गोला का बास की रिपोर्ट जो प्रिन्टेड है और नम्बर 701 दिनांक 07.09.2020 के आधार पर गैर मुमकिन नदी किस्म के 0.50 हैक्टयर की भूमि पर अतिक्रमण अवधारित किया गया है जिसका कोई आधार अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अंकित नही किया है बल्कि मौके की निष्पक्ष जांच जैसे राजस्व नियमावली में वर्णित है कि बिना मात्र एक व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमि माना गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों के दोनों निर्णय दिनांक 22.09.2021 एवं 26.07.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी मंदिर परिसर में लगती हुई अचिन्हित भूमि जिसमें एक प्राचीन किन्तु भग्न व जीर्ण—शीर्ण भवन खड़ा था, को अपने ट्रस्ट फण्ड से खर्च धनराशि से इसके जार्णोद्वार सर्वसम्मति और सहमति से किया है तथा इसको "भक्त निवास" शीर्षक से अब जाना जाता है चूँकि उक्त "भक्त निवास" पूर्णतया कामन काज की उपयोगी सम्पत्ति है जो आने वाले श्रद्धालू एवं भक्तगण के विश्रान्ति व रात्रि प्रवास गृह के रूप में है अतएव जो अनाधिकृत कब्जे में ना तो फिलहाल में है और ना ही पूर्व में कभी था किन्तु इन तथ्यों का गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालयों उप तहसीलदार टहला का आदेश दिनांक 22.09.2021 व अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वितीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

का आदेश दिनांक 26.07.2022 पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध एवं वास्तविक तथ्यों से परे होने से निरस्त व अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील व लिखित बहस के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी ट्रस्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2022 व उप तहसीलदार टहला द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2021 अपास्त किया जावें एवं खसरा नम्बर 194 रकबा 4.85 गैर मुमकिन नदी का वर्तमान व वास्तविक भराव क्षेत्र व भराव स्त्रोत के मार्गो को पत्थरगढी के स्टोन पीलर लगवाकर वास्तविक भरवा क्षेत्र निर्धारित करने व राजस्व अधिकारी, तहसीलदार राजगढ, नायब तहसीलदार टहला, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को निर्देश दिये जावें कि वे सम्बन्धित समस्त सुसंगत विभागों जैसे सिंचाई विभाग, वन विभाग आदि के साथ समन्वय करके उक्त भराव क्षेत्र तथा नदी के बहाव का वर्तमान सोर्स आदि का तकनीकी रूप से सर्वेक्षण करके सही निर्धारित कर राज्य सरकार के राजस्व विभाग तथा भू प्रबन्ध विभाग को निर्देश देकर उक्त निर्धारण सम्पन्न करें तथा भराव क्षेत्र का सही निर्धारण कर तदानुसार भूमि की किस्म को निर्धारित करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कई प्रकार के अनुतोष चाहे गये है किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कही भी यह नही बताया गया है कि अतिक्रमित भूमि पर उनका कोई हक, अधिकार किस प्रकार निहित है बल्कि अपीलार्थी स्वयं अपनी अपील में यह कहकर आ रहे है कि अपीलार्थी ने मंदिर परिसर में लगती हुई अचिन्हित भूमि जिसमें एक प्राचीन जीर्ण–शीर्ण भवन खड़ा है, को अपने ट्रस्ट के फण्ड से धनराशि खर्च कर उसका जीर्णोद्वार किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 4.85 हैक्टयर किस्म गैर. मु. नदी में से 0.50 हैक्टयर भूमि पर अपीलार्थी ट्रस्ट द्वारा चार दीवारी टिनशेड, दो मंजिला भवन व एक मंजिला भवन बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार टहला द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2021 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2022 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2022 को यथावत रखा जाता है।

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/24

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।